

फा. सं. 11013/3/2011-स्था. (क)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 सितंबर, 2013

कार्यालय जापन

विषय : केंद्रीय सेवाओं के समूह 'क' अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करना और इसे सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में प्रदर्शित करना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 11/04/2011 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों से समूह 'क' अधिकारियों के वर्ष 2010 की अचल संपत्ति विवरणी को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया था।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह केवल एक बार उठाया गया कदम न होकर एक सतत प्रक्रिया है। सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों से अनुरोध है कि अचल संपत्ति विवरणी (प्रति वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जानी है) को वर्ष 31 मार्च तक सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में प्रदर्शित किया जाए। मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन समूह 'क' सेवा तथा मंत्रालय/विभाग के अधीन सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' से संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट इस विभाग को हर वर्ष 30 अप्रैल तक भेजी जाए।

Schri
(ममता कुंद्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक
3. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को परिपत्र वेबसाइट पर डालने हेतु।